न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–7.1.2020

मि.न.173 / 2019

सरकार बनाम हंसराज

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 291 / 0.04 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि मेंसे 0.005 है0पर हंसराज पुत्र हरचंद जाति गुर्जर निवासी चानचकी ढाणी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने फसल पक्का निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल हंसराज पुत्र हरचंद जाति गुर्जर निवासी चानचकी ढाणी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 291 / 0.04है0किस्म जमीन बारानी प्रथम भूमि मेंसे 0.005है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल हंसराज पुत्र हरचंद जाति गुर्जर निवासी ढाणी चानचकी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0291 / 0.04 है0 ,किस्म बारानी प्रथम मे से 0.005 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर

Scanned by CamScanner

सायल को उक्त आराजीयात पर किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.15रू. का पचास गुणा 8रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

15-1-20
पृष्ठ संख्या 13 पर 825
दर्ज किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपतली